तारीख	
	इजलास [illegible] उपखण्ड अधिकारी [illegible] प्रकरण संख्या 15[illegible]/2021 ([illegible]) रास्ता प्रकरण
[illegible]	तहसीलदार झुंझुनूं द्वारा कदीमी प्रचलित रास्तों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने हेतु रास्ता प्रस्ताव मय दस्तावेजात पेश किया गया। रिकॉर्ड तहसीलदार झुंझुनूं के अनुसार पटवार मण्डल बीबासर के राजस्व ग्राम [illegible] का बास के हाल भूमि खसरा नं. 813/416, 416, 417, 461, 465, 469, 476, 477, व 479 में से जाने वाला प्रचलित रास्ता जो कि [illegible] के खेत से मनोज मास्टर की ढाणी तक उपरोक्त खसरा नं. में से जाता है, यह रास्ता मौके पर निर्बाध रूप से चालू हालत [illegible] नक्शे में डबल डोटेड लाईन से दर्ज है, [illegible] इस रास्ते को सर्वे रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस, जमाबंदी इत्यादि में रास्ता दर्ज करने की अभिशंषा सहित रिपोर्ट पेश की है। प्रकरण राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131, 132 के तहत दर्ज रजिस्टर किया जाता है। यदि किसी अस्थाई एवं मौसमी रास्ते का स्वरूप बदलकर स्थाई हो गया है तो राजस्व रिकॉर्ड में तदनुसार उस रास्ते का अंकन करना भू अभिलेख अधिकारी का दायित्व है। रास्ते सुनिश्चित होने से काश्तकारों में अनावश्यक विवाद नहीं होते है तथा आराजी तक पहुंच सुगम रहती है। सुगम पहुंच भूमि सुधारों का क्रियान्वयन सुगम बनाती है। सुनिर्धारित, सुनिश्चित रास्ता जोत का महत्व और मूल्य बढ़ा देता है। रास्ता से गमागमन शांत, निर्बाध एवं विधिपूर्ण होने के संदर्भ में भूमि सुधार एवं सुव्यवस्थित भू प्रबंध/भू अभिलेख का एक मुख्य घटक है। तहसीलदार झुंझुनूं के अनुसार उक्त प्रचलित रास्ते को रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने पर किसी पक्षकार के हक हिस्सों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है बल्कि पक्षकारों के मध्य आपसी विवाद नहीं होने की संभावना होती है। राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प. 3(2)रा–6/2003 पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 एवं राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.3 (17) राज–6/2021 पार्ट/91 जयपुर दिनांक 30.09.2021 की रोशनी में न्यायालय मत पर जनहित व विधिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए तहसीलदार झुंझुनूं द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र बाबत कदीमी रास्तों को रिकॉर्ड में लाने का स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। लिहाजा :– –: आदेश :– उक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार झुंझुनूं द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र (रास्ता प्रस्ताव) स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार झुंझुनूं को आदेशित किया जाता है कि वे मुताबिक रास्ता प्रस्ताव में वर्णित खसरा नम्बरों के विरूद्ध किसी अन्य सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश ना हो तो मुताबिक रास्ता प्रस्ताव व संलग्न नक्सा ट्रेस राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करें। रास्ता प्रस्ताव आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। प्रचलित रास्ते का रकबा जो खातेदारी भूमि में पड़ रहा है वह गै0 मु0 रास्ता दर्ज होने के उपरान्त भी निजी खातेदारी में ही रहेगा। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार झुंझुनू को प्रेषित की जावे। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू (राज.)